अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल आरा

पत्रांक 372........अनु0/आरा, दिनांक 09/5/2025

प्रेषक,
ई0 प्रवीण कुमार सिन्हा
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

सेवा में
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, **आरा।**

विषय :– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **आरा** के अधीन शीर्ष **4515 MMGSUY (RRSMP) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या–RRSMP/24-25 Ara/03 (टेन्डर आई0 डी0–139267) का पुनर्निमाण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन** कार्य का निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक–**719** दिनांक–**07.05.2025** एवं **विभागीय पत्रांक–1575 दिनांक–05.05.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक–**719** दिनांक–**07.05.2025** के आलोक में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **आरा** के अधीन शीर्ष **4515 MMGSUY (RRSMP) योजनान्तर्गत पैकेज संख्या–RRSMP/24-25 Ara/03 (टेन्डर आई0 डी0–139267) का पुनर्निमाण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन** कार्य का सफल न्यूनतम दर निविदाकार **Rajiv Ranjan Singh** (**बीड आई0डी0–610611**) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से **-15.89% (पन्द्रह दशमलव आठ नौ)** प्रतिशत कम पर अर्थात रू0 **11,19,76,473.00 (ग्यारह करोड़ उन्नीस लाख छिहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर रूपये)** मात्र पर निम्न शर्तो के साथ कार्य आवंटित किया जाता है।

इस निविदा के निष्पादन पर **अभियंता प्रमुख**, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–**1575** दिनांक–**05.05.2025** के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व कार्यपालक अभियंता अग्रधन का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

2. कार्य का निष्पादन **4515 MMGSUY (RRSMP)** योजना की मार्गदर्शिका एवं मानक निविदा अभिलेख के अनुरुप किया जायेगा।
3. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिये है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा ।
4. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिये जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित बैंक गारंटी/एन0एस0सी0 आदि का सत्यापन संबंधित बैंक/डाकघर से करा कर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित कर संधारित किया जायेगा।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रुप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
6. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रुप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इनमें कमी पायी जाती है तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सुचना में उल्लेखित शर्त्त एकरारनामा का भाग होगा जिसे विशेष शर्तो में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
9. एकारारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेगें की इसमें कोई त्रुटि नहीं है ।

10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेगें एवं प्राविधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।
11. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।
12. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरुप, निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाय।
13. कार्य समाप्ति की अवधि एन0आई0टी0 के अनुसार होगी।
14. सफल संवेदक के साथ शीध्रताशीध्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत 21 दिनों के अन्दर कर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा । एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक निश्चित समय सीमा दी जाय और उस समय के अन्दर सभी वांछित कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ताकि उचित कार्रवाई की जा सके ।
15. इस कार्य का व्यय शीर्ष **4515 MMGSUY (RRSMP) योजनान्तर्गत** राशि से विकलित होगा।
16. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवी तारीख तक निश्चित रूप मुख्य अभियंता–1 को उपलब्ध कराई जाय एवं ओन लाईन मोनेटरींग हेतु विभाग के उपलब्ध वेवसाईट पर प्रविष्टि की जाय।
17. एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता परिमाण विपत्र के मद, मात्रा एवं दर की जाँच पुनः कर लेंगें।
18. एकरारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाय कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दोषी माने जाएगें ।
19. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं है तों एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन कराना आवश्यक होगा ।
20. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है ।
21. इस कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय। एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लम्बित नहीं है ।
22. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीध्र अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रतर कारवाई स्थगित रखा जाय ।
23. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की शूद्धता की जाँच कर लेंगे । किसी प्रकार की भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे । तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे साथ ही यंत्र संयंत्र की उपलब्धता के संबंध में भी अश्वस्थ हो लेंगे ।
24. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रतर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है ।
25. संबंधित कार्यपालक अभियंता एकरारनामा करने के पूर्व वित्तीय बीड एवं कार्य आवंटन आदेश की दर एवं राशि की शुद्धता की जाँच कर लेंगे एवं त्रुटि होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
26. संबंधित कार्यपालक अभियंता एस0बी0डी0 / एम0बी0डी0 / सी0एम0बी0डी0 के प्रावधानों के अनुरुप संवेदक से एकरारनामा करने के पूर्व वांछित परफारमेन्स गारंटी की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे जो एकरारनामा का भाग होगा।
27. विभागीय पत्रांक–14 / अ0प्र0–03–21 / 2021–489 अनु0 दिनांक–28.01.2021 का अनुपालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करेंगे। कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु0: – यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, आरा

मुख्य अभियंता–1 (पटना) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पटना, दिनांकः– 07-05-2025

पत्रांकः– मु0अ0–1 / निविदा–07–78 / 2025 719

प्रेषक,

ई0 राम मनोहर ठाकुर,
मुख्य अभियंता–1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन शीर्ष 4515 **MMGSUY (RRSMP)** योजनान्तर्गत पैकेज संख्या–**RRSMP/24-25 Ara/03** (टेन्डर आई0डी0–139267) का **पुनर्निमाण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन** कार्य के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक 1575 अनु0 दिनांक 05.05.2025

Rajiv 08/05/2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन शीर्ष 4515 **MMGSUY (RRSMP)** योजनान्तर्गत पैकेज संख्या– **RRSMP/24-25 Ara/03** (टेन्डर आई0डी0–139267) का **पुनर्निमाण / उन्नयन / नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन** कार्य आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार **Rajiv Ranjan Singh (Bid ID-610611)** को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर / राशि से **–15.89 (पन्द्रह दशमलव आठ नौ) प्रतिशत** कम पर अर्थात **11,19,76,473.00 (ग्यारह करोड़ उन्नीस लाख छिहत्तर हजार चार सौ तिहत्तर)** रूपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

08.05

इस निविदा के निष्पादन पर **अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना** के पत्रांक **मु0अ0(अ0उ0) 4515–01–791 / 2025–1575 अनु0** दिनांक **05.05.2025** के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता अग्रधन सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये राशि से संबंधित एन0एस0सी0 / किसान विकास पत्र / बैंक गारंटी आदि का सत्यापन संबंधित डाकधर / बैंक से कराकर प्रमण्डलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वॉछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है। कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पायी जाती है, तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्तो में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेगें।
9. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति, सरकारी भूमि की उपलब्धता एवं प्राक्कलन में किये गये उपबन्ध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेगें एवं प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगे।
10. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।
11. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देगें कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाये।

12 एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता आश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डिबार सूची/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।

13. सफल संवेदक के साथ शीघ्रातिशीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत् 21 दिनों के अन्दर कर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक निश्चित समय सीमा दी जाय और उस समय के अन्दर सभी कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय जिससे कि उचित कार्रवाई की जा सकें।

14. इस कार्य का व्यय **शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP)** से विकलित होगा।

15. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवी तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाय।

16. एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र के मद, मात्रा एवं दर की जाँच पुनः कर लेंगें।

17. एकरारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाय कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दोषी माने जायेंगें।

18. यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं हैं तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधन काराना आवश्यक होगा।

19. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।

20. इस कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय। एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लम्बित नहीं है।

21. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजी जाय एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रतर कार्रवाई स्थगित रखा जाय।

22. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रत्तर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।

23. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र की शुद्धता की जॉच कर लेंगे। किसी प्रकार कि भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे। साथ ही साथ यंत्र–सयंत्र की उपलब्धता के संबंध में भी आश्वस्त हो लेंगे।

24. विभागीय पत्रांक 14/अ0प्र0–03–21/2021–489 अनु0 पटना दिनांक 28.01.2021 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **आरा** को तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **आरा** अभिलेख हेतु उपलब्ध करा दें।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देगें।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

07/05/25

मुख्य अभियंता–1 (पटना),

ज्ञापांकः– 719 पटना, दिनांकः– 07-05-2025

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, **आरा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/05/25

मुख्य अभियंता–1 (पटना).